

19.06.2024 पत्रावली पेय हुई ।

वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित ।

रुब-रुब कर तीन बार आवाज लगावाई गई, बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं । इससे प्रतीत होता है कि वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अपने दाये को लेकर गम्भीर नहीं हैं अतः दावा अडम हाजिरे अडम पैरवी में इसके ताल पर खारिज किया जाता है ।

पत्रावली के ताल शुभ्रा छोड़कर नंबर के डम की जाकर दाखिल दफ्तार है ।
पुनी

सहायक कलेक्टर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
(फारट) काठमांडू